

पृष्ठा,

संख्या- 1678/15-17-88-63{47}/87

श्री सलोस्त० गौतम,
संयुक्त संघिय,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेक्रेटरी संस्क्रान,
2/19, संत बिहार अंडारी रोड,
दिल्ली ।

शिक्षा अनुभाग-17

लानज़े दिनांक २५ मई, १९८०

विषय:- महर्षि पतांजलि विद्या मंदिर, तेलियरग्ज, इलाहाबाद को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निक्षा हुआ है कि महर्षि पतांजलि विद्या मंदिर, तेलियरग्ज, इलाहाबाद को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेक्रेटरी संस्क्रान, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नांतिभात प्रतिबन्धों/ शर्तों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

१का तामान्य प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक संस्था होगा।
- 2- विद्यालय में क्षेत्र से कम 10 प्रतिशत स्थान में द्वारा और पिछड़े एवं निर्वल आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षात रहेंगे तथा उनसे उपर्युक्त माध्यमिक शिक्षण परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- 4- संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकाएं प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मारियों को अनुभूत्य वेतनमानों तथा अन्य भरतों से कम वेतनमान एवं अन्य भरते नहीं दिया जायेगा।
- 5- राज्य सरकार अध्या शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे उनका पालन संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
- 6- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रहा जायेगा

११५

१००२=

- 2 -

२का विषय प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रीबिस्टर्ड होगी तथा राजा-सम्पत्ति पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
 - 2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा-कक्ष, दो वैकल्पिक विषय कक्षों, दो प्रयोगशाला कक्ष तथा चार प्रशासनिक कक्षों की व्यवस्था की जायेगी।
 - 3- कर्मारियों की सेवा-शर्तों बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त ज्ञान-कीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मारियों को अनुमन्य सेवा-निवृत्तिक ताभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - 4- विद्यालय का लेहा-जोहा निर्धारित प्रपत्रों/ पंजिकाओं में रहा जायेगा।
 - 5- विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिकाओं एवं कर्मारियों हेतु भविष्य निधि योजना लागू की जायेगी।
- 2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

११५
१६७८ गौतम
संयुक्त संघिय।

संख्या- 1678/15-17-88-तदीदिनांक

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः-
- 1- शिक्षा निदेशक, उपर्युक्त शिक्षिकार कार्यालय, लानज़े।
 - 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद।
 - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद।
 - 4- निरीक्षक, अंग्रेज़ भारतीय विद्यालय, उपर्युक्त, लानज़े।
 - 5- प्रबन्धक, महर्षि पतांजलि विद्या मंदिर, तेलियरग्ज, इलाहाबाद।
- आज्ञा से,

१६७८ गौतम
संयुक्त संघिय।